न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 04/2019

अनवान :

1. धर्मपाल पुत्र श्री राजकरण जाति जांगिड ब्राहम्ण पेशा खेती निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरूस्त करने जमाबन्दी
अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : **प्रार्थी**
पेरोकार राज : **अप्रार्थी**

निर्णय **दिनांक :** 6.2.19

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा के रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 171/161 की कुल 4.554 है0 नहरी बारानी कृषि भूमि में प्रार्थी के नाम 0.759 है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व चक 8 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 128/125 की कुल 1.518 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रार्थी के पिता रामकरण के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व रोही मौजा 4 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 171/161 में प्रार्थी के पिता का नाम राजकरण के स्थान पर जयकरण दर्ज हो गया एवं चक 8 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 128/125 वाले खाते में प्रार्थी के पिता का नाम राजकरण के स्थान पर रामकरण दर्ज हो गया जो एक लिपिकीय भूल है जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवा पाने का मजाज है।

प्रार्थी के पिता का वास्तविक एवं सही नाम राजकरण है ओर प्रार्थी की अन्य खातेदारी चक 3 जोगीवाला के खाता सं0 63/60 में प्रार्थी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम धर्मपाल वल्द जयकरण दर्ज है जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न है एवं इसी प्रकार प्रार्थी के परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, पानी एवं विद्युत बिलो, मतदाता सूची विधानसभा सन् 2008 क्रम संख्या 554 एवं मतदाता सूचि सन् 1988 की क्रम संख्या 809 एवं मतदाता सूचि सन् 1993 की क्रम संख्या 141 पर प्रार्थी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम राजकरण दर्ज है। समस्त दस्तावेजात की चित्रप्रतियां संलग्न आवेदन है जिससे साफ रोशन है जबकि उक्त भूमि के पुराने राजस्व रिकार्ड चक 8 जेजीडब्ल्यु की जमाबन्दी सम्वत् 2049 में प्रार्थी के पिता का सही नाम राजकरण दर्ज है इसी प्रकार चक 4 जेजीडब्ल्यु की जमाबन्दी सम्वत् 2062 से 2065 में प्रार्थी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम राजकरण दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दीया संलग्न आवेदन की जा रही है जिससे यह साफ रोशन है। ग्राम पंचायत का तस्दीकशुदा प्रमाण पत्र संलग्न है।

प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज नहीं होने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। उक्त भूल जो एक लिपिकीय भूल है। उक्त भूल सद्भावी है जिससे प्रार्थी के हितों पर कुठाराघात हो रहा है एंव प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर पुन : ऋण स्वीकृत नहीं करवा पा रहा एवं अन्य राज्य सरकार का लाभ भी नामों की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

भिन्नता के कारण प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने नाम की बाबत जरिऐ संशोधन दुरूस्त करवा पाने का मजाज कानूनी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी पेरोकार राज ने रिपोर्ट पेश की।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 4 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 171/161 सम्वत् 2074 से 77, चित्रप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 4 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 58/54 सम्वत् 2062 से 65, प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 4 जेजीडब्ल्यु सम्वत् 2054, सत्यापित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 8 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 128/125 सम्वत् 2073–76, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 8 जेजीडब्ल्यु सम्वत् 2049, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 3 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 63/60 सम्वत् 2071 से 74, असल विद्युत बिल, चित्रप्रति मतदाता सूची, चित्रप्रति परिवार राशन कार्ड, चित्रप्रति वोटर आईडी कार्ड, चित्रप्रति आधार कार्ड पेश किये।

बहस सुनी गई।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने रोही मौजा 4 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 171/161 व 8 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 128/125 के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो पुराना राजस्व रिकार्ड प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 4 जेजीडब्ल्यु सम्वत् 2054 व प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 8 जेजीडब्ल्यु सम्वत् 2049 पेश की है उनमें प्रार्थी के पिता का नाम राजकरण दर्ज है व चित्रप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 4 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 58/54 सम्वत् 2062 से 65 में पूर्व की प्रविष्टि धर्मपाल पुत्र राजकरण दर्ज है व उसके आगे की प्रविष्टि में झाबरराम के फौत होने के बाद जो विरासतन इंतकाल की प्रविष्टि है उसमें धर्मपाल वल्द जयकरण दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि पुरानी जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम राजकरण सही दर्ज था किन्तु उसके बाद के रिकार्ड में सहबन से प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज हो गया व अन्य कृषि भूमि सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 3 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 63/60 सम्वत् 2071 से 74 में प्रार्थी के पिता का नाम राजकरण दर्ज है जो कि राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से साबित है। इसके अलावा असल विद्युत बिल, चित्रप्रति मतदाता सूची, चित्रप्रति परिवार राशन कार्ड, चित्रप्रति वोटर आईडी कार्ड, चित्रप्रति आधार कार्ड में भी प्रार्थी के पिता का नाम राजकरण दर्ज है व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी साबित है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 171/161 में प्रार्थी के पिता का नाम जयकरण के स्थान पर राजकरण एवं इसी प्रकार चक 8 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 128/125 में प्रार्थी के पिता का नाम रामकरण के स्थान पर राजकरण राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर दर्ज किया जावे। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़